L. C. BILL No. VIII OF 2026.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA PRIVATE SKILLS UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2024.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ८ सन् २०२६।

महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ में संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २०२४ का महा. ३५। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ में संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

सन् २०२४ का महा. ३५ की अनुसूचि में संशोधन।

२. महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय नविष्टि (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ से संलग्न अनुसूचि के भाग दो की सारणी में निम्न प्रविष्टियाँ नविष्टि की जाएगी, अर्थात् :— सन् २०२४ का महा. ३५।

"१.	पाशा पटेल स्किलटेक विश्वविद्यालय, लोदगा, मु. पो. लोदगा, गट क्र. २३८, फिनिक्स शैक्षणिक परिसर में स्थित पोस्ट लोदगा, तालुका औसा, जिल्हा लातूर ४१३ ५३.	फिनिक्स संस्थापन संस्था, विठ्ठल गृहनिर्माण संस्था, चर्च के नजदीक, नांदेड रोड, लातूर ४१३ ५१२ पर संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (सन् १८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था, जिसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक महा/१८५८४/०८/ लातूर में एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है.
२.	फ्युएल कौशल-तकनीकी और उद्यमीता, विश्व-विद्यालय, पुणे, सेक्टर ए-४, सर्वे क्र, १६/१/१, फॉरेस्ट ट्रेल्स टाऊनशिप, परांजपे स्किम, पौड रोड, भुगाव, पुणे, महाराष्ट्र ४१२ ११५ ।	फ्युएल (फ्रेंडस युनियन फॉर एनरायजिंग लाईव्स) सेक्टर ए ४, सर्वे क्रमांक १६/१/१, फॉरेस्ट ट्रेलस टाऊनशिप परांजपे स्किम, पौड रोड, भुगाव, पुणे ४१२ ११५ पर रजिस्ट्रि कार्यालय है तथा महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९) के अधीन रजिस्ट्रीकरण क्र. इ. ४९१३ धारित एक रजिस्ट्रीकृत लोक न्यायस है।"।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ (सन् २०२४ का महा. ३५) महाराष्ट्र राज्य में कौशल शिक्षा का विकास और उन्नति करने के लिए स्व-वित्तपोषित निजी कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन और विनियमन करने के लिए उपबंध करता है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ६ यह उपबंध करती है कि, सरकार, धारा ५ की, उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, प्रायोजक निकाय ने धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है तो, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि द्वारा अनुसूचि के संशोधन द्वारा अनुसूचि के भाग-दो में निजी कौशल विश्वविद्यालय और उसके प्रायोजक निकाय का नाम, स्थान और मुख्यालय के समावेशन द्वारा एक निजी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अनुमति दे सकेगी।

३. सरकार धारा ५ की उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है की, प्रायोजक निकाय फिनिक्स संस्थापन संस्था, और फ्युएल (फ्रेंड्स युनियन फॉर एनरायजिंग लाईव्स) ने अनुक्रमे " पाशा पटेल स्किलटेक विश्वविद्यालय, लोदगा " और " फ्युएल कौशल-तकनीकी और उद्यमिता विश्वविद्यालय, पुणे " के नाम द्वारा निजी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है।

४. इसलिए, सरकार उक्त प्रस्तावित निजी कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और उसमें उक्त विश्वविद्यालयों के नाम, स्थान और मुख्यालय तथा प्रायोजक निकाय सम्मिलित करने की अनुमति देने के लिए विधि अधिनियमिति द्वारा महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ से संलग्न अनुसूचि के भाग दो में संशोधन करना इष्टकर समझती है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांक : २३ मार्च, २०२६।

कौशल, रोज़गार, उद्यमीता और नवाचार मंत्री।

विधानभवन,
मुंबई,
दिनांकित २३ मार्च, २०२६।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

डॉ. विलास आठवले,
सचिव-३
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.